संख्या- 672 /26-ब0प्र0-2013-5(पी)/2007

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2013

विषय:- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहनलालगंज, लखनऊ के परिसर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-256/तीन/वि-4-एस0सी0पी0-2006-07-मोहनलालगंज/2006(15)23 दिनांक 01.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहनलालगंज लखनऊ में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट-50 जलनिगम, बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत किये गये आगणन रू0 92.44 लाख की आंकलित लागत रू0 91.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किश्त रू0 45.00 लाख (रू0 पैतालिस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व विभाग का होगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा नही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7)- प्रश्नगत कार्य कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्था का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अवशेष निर्माण कार्य- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेगें तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2186/दस-2013, दिनांक 26 नवम्बर, 2013 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदयी

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 672(1)/26-ब0प्र0-2013-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
6. परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-50 उ0प्र0 जलनिगम, बाराबंकी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in